सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

आपणी गरिमा आपणो मान
निर्मल राजस्थान

क्रमांक एफ.4/परावि/एसमबीएम–जी/लेखा–1 /आवंटन /2015–16/626 जयपुर, दिनांक : 22-04-2015

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, जिला समस्त।

विषय :– स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के तहत् लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में किये जाने बाबत्।

उक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) के अन्तर्गत जिलों को हस्तान्तरित राशि में से 90 प्रतिशत राशि पंचायत समितिवार जारी की गई स्वीकृतियों एवं उपलब्धि/प्रगति के आधार पर विकास अधिकारियों को 15 दिवस के अन्दर हस्तान्तरित की जावे तथा 10 प्रतिशत राशि जिला स्तर पर रखी जावे, जो प्रशासनिक खर्चो, प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण के मदों हेतु काम मे ली जावे तथा इस 10 प्रतिशत राशि में से ही किसी भी पंचायत समिति द्वारा पूर्व में हस्तान्तरित राशि का उपयोग कर लिये जाने एवं विशेष प्रगति करने पर तथा पूर्व की राशि का उपयोग कर लिये जाने पर अतिरिक्त राशि हस्तान्तरित की जा सकती है। लाभार्थी द्वारा शौचालय का निर्माण करने के 15 दिवस के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि का भुगतान विकास अधिकारियों द्वारा उनके बैंक खातों में बैंक हस्तान्तरण (RTGS) द्वारा किया जावे। यदि विकास अधिकारी द्वारा 15 दिवस में भुगतान नही किया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

विकास अधिकारियों, ग्राम पंचायतों एवं अन्य एजेन्सियों को गत वर्षों में दी गई अग्रिम राशि का तत्काल समायोजन किया जावे।

इस संबंध में की गई कार्यवाही से विभाग को शीघ्र अवगत करावें।

(राजेश यादव)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि :–

1. जिला कलक्टर एवं सहअध्यक्ष जिला स्वच्छता मिशन समस्त।
2. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति, समस्त।
4. जिला परियोजना समन्वयक (एसबीएम.जी) जिला परिषद समस्त।

निदेशक
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0)